पत्रांक- अ०सं०क०-02-08/2014---------------/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-...............

विषयः- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के विभागीय परीक्षा के संबंध में ।

माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 04.07.2014 को सम्पन्न केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद की बैठक एवं दिनांक- 01.12.2014 को संचिका में माननीय सदस्य राजस्व पर्षद के अनुमोदन के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीनस्थ कार्यरत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित किये जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की जाती है ।

जिलों में सृजित राज्य संवर्ग के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु निम्न प्रकार से परीक्षा का पाठयक्रम निर्धारित किया गया है:-

क्र0 सं0	विषय/पत्र	पूर्णांक	उतीर्णांक	परीक्षा अवधि
1	2	3	4	5
1	हिन्दी (लिखित एवं मौखिक)	200 (150+50)	120	3 घंटे
2	लेखा(पुस्तक रहित)	100	50	$1\frac{1}{2}$ घंटे
3	लेखा(पुस्तक सहित)	100	60	$1\frac{1}{2}$ घंटे
4	अल्पसंख्यक विकास	100	60	$1\frac{1}{2}$ घंटे

क्रम सं0 1 से 3 तक के विषय/पत्रों के पाठ्यक्रम वही रहेंगे जो बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है ।

क्रम सं0- 04 (**अल्पसंख्यक विकास**) से संबंधित विषय निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते हैं:-

(1) **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ :-**

- (i) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना
- (ii) प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना
- (iii) मेधा सह आय छात्रवृति योजना
- (iv) एम0एस0डी0पी0

(2) **राज्य प्रायोजित योजना :-**

- (i) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
- (ii) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना
- (iii) मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना
- (iv) मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना
- (v) मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
- (vi) वक्फ एक्ट
- (vii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली अन्य योजनाएँ ।

कृ0पृ0उ0

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उतीर्णांक में नियमानुसार 10% की छूट दी जा सकेगी ।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने के बाद अनुमान्य होगी ।

इस संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा, यदि उसने विहित मापदण्ड के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता प्राप्त की हो और राज्य सरकार उसे सम्पुष्टि के योग्य समझें ।

सम्पुष्टि के पूर्व सभी पदाधिकारियों को राजस्व पर्षद द्वारा संचालित लिखित एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0 3/वि0 1-20/98 का0- 11971, दिनांक-03.11.1998 के आलोक में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है । बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों के सम्पुष्टि एवं अगले पदों पर प्रोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा ।

परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.............................. पटना, दिनांक-..........................

प्रतिलिपिः- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.........2695......... पटना, दिनांक-.......31.12.14....

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ ।

सरकार के प्रधान सचिव

31.12.14